न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 21/2015

श्री नारायण सिंह रावत पुत्र श्री बिरदासिंह रावत निवासी–794/49 महादेय नगर, पुलिस लाईन, अजमेर।

.......*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभु सिंह जाति रावत निवासी ग्राम गोडियावास तहसील अजमेर।
2. सरपंच–ग्राम पंचायत गोडियावास पंचायत समिति श्रीनगर तहसील अजमेर।

......**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994

उपस्थित :– 1. श्री लेखू मंधानी वकील प्रार्थी/निगरानीकार की ओर से।
2. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 06.01.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभु सिंह जाति रावत निवासी ग्राम गोडियावास ने सरपंच ग्राम पंचायत गोडियावास के समक्ष ग्राम गाडियावास स्थित आबादी भूमि खसरा नम्बर 772 में स्वंय के मकान का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत गोडियावास द्वारा दिनांक 08.11.2010 से प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र में अंकित आवास एवं आवासीय उपयोग में आने वाली भूमि का नियमन किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.11.2010 को पट्टा संख्या 08 जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 08.11.2010 की पालना में दिनांक 13.11.2010 को जारी पट्टे से असंतुष्ट होकर यह निगरानी पेश कर आदेश दिनांक 08.11.2010 व उसके अनुसरण में दिनांक 13.11.2010 को जारी पट्टा निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित हुए तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि विवादित मकान का निर्माण प्रार्थी के पिता श्री बिरदा सिंह द्वारा करवाया गया था तथा बिरदा सिंह द्वारा अपने

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जीवनकाल में कभी भी विवादित मकान का बंटवारा नहीं किया गया। मृतक के वारिसान में प्रार्थी के अतिरिक्त श्रीमति तोपी देवी (पत्नी) श्री लक्ष्मण सिंह व श्री प्रभुसिंह (पुत्र) श्रीमति जमनी देवी, श्रीमति गंगादेवी व श्रीमति गीतादेवी (पुत्रियां) है जबकि मृतक श्री बिरदा सिंह द्वारा निर्मित विवादित सम्पत्ति में केवल मृतक के एक पुत्र व तीन पौत्र के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है प्रार्थी स्वंय उक्त मकान में निवास कर रहा है नियमानुसार मृतक का वारिस होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में भी विवादित मकान का पट्टा जारी किया जाना आवश्यक था, किन्तु ग्राम पंचायत गोडियावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी करने से पूर्व न तो प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही दिया गया न ही उन्हें कोई नोटिस जारी किया गया। वकील प्रार्थी का आगे कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आक्षेपीय पट्टे की जो सीमायें दर्शायी गई है उसमें तथा मौका स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई सीमाओं में काफी अन्तर है। इसके अतिरिक्त पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पट्टे की विहित प्रक्रिया दी गई है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 146 की पालना नहीं की गई है। स्थल निरीक्षण हेतु बनाई गई पंचो की कमेटी द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया गया। उन्होंने नियम 146 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) की कोई सूचना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित नहीं की है इसके अतिरिक्त नियम 148 के तहत विक्रय की सूचना प्रकाशित नहीं की तथा न ही नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित स्थल पर न तो लगाई गई न ही नोटिस की दूसरी प्रति ग्राम के दो प्रतिष्ठित व्यक्तिओं के हस्ताक्षरों से प्रमाण स्वरूप तामील करवाई गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया केवल मात्र सरपंच द्वारा अपने स्तर पर कार्यवाही कर आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। रेकार्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सी खाली भूमि दी जा रही है। आक्षेपीय पट्टा सरकारी भूमि पर जारी किया गया है उक्त बेशकीमती भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर मकान का नियमन का निवेदन किया गया है वह मकान उन्होंने 20 वर्ष पुराना होना तथा पुश्तैनी होना बताया है। उनका उक्त कथन बेबुनियाद है सच तो यह है कि उक्त मकान का निर्माण प्रार्थी ने स्वयं किया है, किन्तू सरपंच को इन तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त भी विधि विरूद्व तरीके से नियमन की कार्यवाही करते हुए आक्षेपीय पट्टा जारी किया है जो प्रारंभ से ही शून्य होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा निरस्त कर ग्राम पंचायत गोडियावास को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन गलत एवं बेबुनियाद है। ग्राम पंचायत गोडियावास द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर पंचायत राज अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया तथा न ही नियम 146 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) की कोई सूचना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित की गई है। वकील

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 का यह भी कथन है कि विवादित भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति है जो जमाबंदी संवत् 2067–70 के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का पूर्व में ही बेचान किया जा चुका है तथा शेष रही अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि बाबत अपनी पुत्री सपना की ओर से उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष नियमित वाद दायर कर रखा है जो विचाराधीन है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो रेकार्ड न्यायालय में भिजवाया गया है उक्त पत्रावली में संलग्न आक्षेपीय पट्टे पर न तो अप्रार्थी की फोटो चस्पा है तथा न ही पट्टा नवीनीकरण का नोट अंकित है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आक्षेपीय पट्टे को नियमानुसार नवीनीकरण करवा कर उपपंजीयक अजमेर से पंजीकृत करवाया जा चुका है जिसकी पुष्टि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे की छायाप्रति से होती है। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि सरपंच द्वारा आक्षेपीय पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव पारित नहीं करवाया गया तथा स्वयं के स्तर पर पट्टा जारी किया गया है जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवरण अंकित किया गया है भूखण्ड का पूर्ण नाप अंकित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 के अनुसरण में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत को पट्टा फीस राशि भी अदा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपीय पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। प्रार्थी निर्धारित समय में ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा निगरानी में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टे से प्रार्थी साथ किस प्रकार का अन्याय किया गया स्पष्ट नहीं होता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि नियमों में अपील का प्रावधान है किन्तू प्रार्थी द्वारा सीधे ही निगरानी पेश की गई है जो नियम विरूद्व है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि वर्तमान सरपंच श्रीमति अमरीदेवी ने दिनांक 27.08.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया है कि आक्षेपीय पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत निगरानी याचिका मय खर्चे के निरस्त की जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कथनों के जवाबुलजवाब में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त कथन उचित है जो रेकार्ड से प्रमाणित है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में अपील का प्रावधान था। प्रार्थी द्वारा अधिनियम 1997 के अन्तर्गत निगरानी पेश की गई है तथा निगरानी का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अब कोई दस्तावेज पेश किये जाते है तो उन्हें रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आबादी में अपने पुराने निर्मित मकान का आवासीय पट्टा जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गोडियावास के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्राथी के कथनानुसार विवादित सम्पत्ति उनके पिता द्वारा समर्पित समपत्ति थी, जिससे अप्रार्थी के साथ ही साथ प्रार्थी का भी हक व हिस्सा नीहित था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गोडियावास से मिलकर प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना विधि विरूद्व रूप से प्रार्थी के

Scanned by CamScanner

हिस्से के मकान में स्वंय के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी करवा लिया है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि उन्होंने अपने पूर्वजों के मकान/भवन का पट्टा जारी नहीं करवाया है बल्कि उनके पिता द्वारा किये गये बापी पट्टे में बंटवारे से आये हिस्से के मकान का पट्टा जारी करवाया गया है तथा उक्त पट्टे का उपपंजीयक के समक्ष पंजीयन भी करवा लिया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी मृतक श्री बिरदासिंह का जायन्दा वारिस है तथा अन्य वारिसान के साथ ही साथ प्रार्थी का भी मृतक की सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा निहित है। अप्रार्थी द्वारा अपने पुराने मकान/भवन का आवासीय पट्टा जारी करवाया गया है किन्तू ग्राम पंचायत द्वारा इस तथ्य की जांच नहीं की गई है कि अप्रार्थी द्वारा जिस मकान का आवासीय पट्टा चाहा गया है वह अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है अथवा पुश्तैनी सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित सीमाओं एवं मौका स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज सीमाओं में काफी अन्तर है। अप्रार्थी के कथनानुसार विवादित सम्पत्ति उनके पिता द्वारा अर्जित बापी पट्टा में बंटवारे से प्राप्त मकान पर आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है किन्तू पत्रावली के अवलोकन से उनके कथनों की पुष्टि नही होती है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत गोडियावास द्वारा आक्षेपीय पट्टा जारी करने से पूर्व सदन में अनुमोदन नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पर किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं होना संदेहास्पद है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोडियावास द्वारा दिनांक 13.11.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 8 निरस्त किया जाकर निगरानी ग्राम पंचायत गोडियावास को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे दोनो पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर विवादित सम्पत्ति पुश्तैनी सम्पत्ति होने की जांच पश्चात नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक **06.01.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner